



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/रायपुर/चू०प०- 76/रायपुर

38 छ०ग० 14027

दिनांक :- 18/01/2021

प्रति,

श्री प्रकाश नारायण छगानी, होल टाईम निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,
पोस्ट बॉक्स नंबर - 33, बांगुर नगर,
बिआवर, (राजस्थान) - 305 901
ईमेल:- shreebwr@shreecement.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार - भाटापारा जिले में स्थित आपकी श्री चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 531.126 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20/11/2020 को श्री के० सी० शर्मा, खान प्रबंधक एवं श्री अमित चौहान, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
नियम संख्या 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Review of Mining Plan vide letter no. BBR/LST/MPLN-1219/2019-RPR Raipur dated 09/12/2019 for the period of F.Y. 2020-21 to 2024-25: Exploration: F.Y. 2020-21; it was proposed to drill 17 nos. of boreholes up the depth of mineralization or up to 300 m whichever is earlier to know the continuity of the Limestone depth wise. Whereas, none of the boreholes have been drilled so far.
नियम संख्या 26 (1)	During inspection, it has been found that two no. of worked out pits/quarries in between grid lines (1) S21 to S18 and W13.5 to W7.5 and (2) S19.5 to 16.5 and W9 to W3 within lease area are left abandoned where the mineral has been mined out earlier and later on no Protective Measures have been taken around these quarries. Hence, suitable Protective Measures should be taken around all non-working quarries.
नियम संख्या 45 (7)	Annual Return F.Y. 2019-20: Part V; General Geology & Mining: 4.2 (c): Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes) has not been mentioned.
नियम संख्या 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Manager (Mines) and Mining Engineer have not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 11(2) एवं 45 (7) के अंतर्गत :-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

कृ०प०प०.2.

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
3. श्री के० सी० शर्मा, खान प्रबंधक, श्री चूनापत्थर खदान, श्री सीमेन्ट लिमिटेड, ग्राम – खापराडीह, तहसील – सिमगा, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ०ग०) – 493 332.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर